रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 330] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 10, 1996/आश्विन 18, 1918
No. 330] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 10, 1996/ASVINA 18, 1918

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 1996

सा.का.नि. 466(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तुतुक्कुडि पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में तुतुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) दूसरा संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन करती है ।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

[फा. सं. एच.-11011/7/95-पी.ई. I]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

अनुसूची

तुतुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) दूसरा संशोधन विनियम, 1996

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तुतुक्कुडि पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड तुतुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 1979 को (जैसे सा.का.नि. 101(ङ), भारत का राजपत्र असाधारण 1 मार्च, 1979 में प्रकाशित किये गये थे) को, आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाते हैं बशर्ते कि खण्ड 124 के अंतर्गत केन्द्र सरकार इसका अनुमोदन करें ।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(i) ये विनियम तुतुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) दूसरा संशोधन विनियम, 1996 कहे जाएंगे ।

(ii) ये विनियम उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिस दिन पर इन विनियमों को अनुमोदन देने वाली केन्द्र सरकार की अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित होगी ।

2. (I) विनियम 7 के उप विनियम (3) के वर्तमान उपबंधों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(3) नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा कर्मचारी निलंबन के अधीन है जैसे समझा जाना चाहिए—

(क) यदि वह अड़तालीस घंटे से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध है तो अपने निरुद्ध किये जाने की तारीख से :

(ख) यदि उसे किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध की दशा में अड़तालीस घंटे से अधिक अवधि के कारावास से दंडित किया गया है और ऐसी दोष सिद्धि के परिणामस्वरूप तत्क्षण पदच्युत नहीं किया गया है, हटाया नहीं गया है या अनिवार्यत: सेवा निवृत्त नहीं किया गया है तो अपनी दोष सिद्धि की तारीख से नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से निलंबित कर दिया गया है :

बशर्ते कि अगर कर्मचारी को निर्दोष ठहराया गया है या उनको जमानत प्रदान की गई है तो उनको तुरन्त सेवा में प्रतिनियुक्ति दी जानी चाहिए।

स्पष्टीकरण : इस उप-विनियम के खंड (ख) में निर्दिष्ट अड़तालीस घंटे की अवधि की संगणना, दोष सिद्धि के पश्चात् कारावास के प्रारंभ से की जाएगी और यदि कारावास की गयी आंतरायिक कालावधियां हों तो इस प्रयोजन के लिए गणना में ली जाएंगी ।

(II) विनियम 8 में "अच्छे और पर्याप्त कारणों" के शब्दों के लिए अगर आरोप साबित किया गया है/साबित किये गये हैं और ऐसे साबित किये गये/आरोप की गंभीरता को दृष्टि में रखते हुये" को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ।

(III) विनियम 10 के उप विनियम 2 में, "विरुद्ध और कदाचार" शब्दों के बीच, तुत्तुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1979 में दिये गये अनुसार को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ।

(IV) विनियम 10 के उप विनियम 4 में, "ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाये" शब्दों के लिए "30 दिन के अंदर" जैसे आंकड़े और शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ।

(V) विनियम 18 के वर्तमान उपबंधों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए अर्थात् :—

"18. केन्द्र सरकार के आदेशों के खिलाफ अपील—

इस भाग में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से किए गये किसी आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय के संमुख अपील हो जानी चाहिए ।

टिप्पणी : विनियम 10 के अधीन जांच की अवधि के दौरान जांच प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए कोई भी आदेश अपील योग्य नहीं होगी ।

पाद टिप्पणी :

(1) प्रधान विनियम, भारत के राजपत्र में, सा.का.नि. सं. 101(अ) दिनांक 1 मार्च, 1979 में प्रकाशित किये गये थे और बाद में सा.का.नि. सं. 90(अ) दिनांक 21 जनवरी, 1990 में संशोधित किये गये थे ।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 1996

G.S.R. 466(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Tuticorin Port Employees' (Classification, Control and Appeal) Second Amendment Regulations, 1996 made by the Board of trustees for the Port of Tuticorin and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. H-11011/7/95-PE-1]

K. V. RAO, Jt. Secy.

SCHEDULE

TUTICORIN PORT EMPLOYEES (CLASSIFICATION, CONTROL AND APPEAL) SECOND AMENDMENT REGULATIONS, 1996

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Board of Trustees for the Port of Tuticorin hereby makes the following Regulations further to amend the Tuticorin Port Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1979 (Published at G.S.R. 101(E) in the Gazette of India extraordinary dated the 1st March, 1979), subject to approval of the Central Government under Section 124 *ibid.*

1. Short title and commencement :

(i) These Regulations may be called the Tuticorin Port Employees (Classification, Control and Appeal) Second Amendment Regulations, 1996.

(ii) They shall come into force on the date on which the Central Government's notification approving these Regulations is published in the Official Gazette.

2. (i) The existing provisions of sub-regulation (3) of Regulation 7 shall be substituted by the following, namely—

"(3) An employee shall be deemed to have been placed under suspension by an order of appointing authority—

(a) with effect from the date of his detention, if he is detained in custody for a period exceeding forty-eight hours:

(b) with effect from the date of his conviction, if in the event of a conviction for an offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty-eight hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction.

Provided that if the employee is acquitted or granted bail, he/she shall be reinstated in service forthwith.

Explanation : The period of forty-eight hours referred to in clause (b) of this sub-regulation shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose, intermittent periods of imprisonment, if any, shall be taken into account".

(ii) In regulation 8 for the words "for good and sufficient reasons", the words "if the charge(s) is/are proved and keeping in view of the gravity of the charge (s) so proved" shall be substituted.

(iii) In sub-regulation (2) of Regulation 10 the words "as contemplated in the Tuticorin Port Employees (Conduct) Regulations, 1979" shall be inserted between the words "misbehaviour" and "against".

(iv) In sub-regulation (4) of Regulation 10, for the words "within such time as may be specified" the words and figures "within 30 days" shall be substituted.

(v) Regulation 18 the existing provisions shall be substituted by the following, namely—

"18. Appeals against orders of the Central Government—

Notwithstanding anything contained in this part, appeal shall lie before the competent Court of Law against any order made with the approval of the Central Government.

Note : Any order passed by an inquiring authority in the course of an inquiry under Regulation 10 is not appealable".

Foot Note :

(1) Principal Regulations were published in the Gazette of India *vide* G.S.R. No. 101(E) dated the 1st March, 1979 and subsequently amended *vide* G.S.R. No. 90(E), dated the 21st January, 1990.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996